हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचांण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
कैलाश राजपुरोहित
मो. 8963095311

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 67297 दिनांक : 17.09.2023

श्रीमान अध्यक्ष,
राजस्थान लोक सेवा आयोग
अजमेर ।

विषयः—राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा—2021 की भर्ती ओबीसी आरक्षण के बिना करने बाबत।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त परीक्षा के लिए आप द्वारा जारी संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 28.09.2021 का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि इस विज्ञप्ति में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बड़ी संख्या में पद आरक्षित रखे गये हैं। आप यह जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा बनाये गये आरक्षण कानून एवं अब तक जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण का कोटा अर्थात पर्याप्त प्रतिनिधित्व 21 प्रतिशत निर्धारित किया हुआ है। आप यह भी जानते हैं कि वर्तमान में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में 21 प्रतिशत से काफी अधिक हो चुका है। लगभग दो गुना से भी अधिक हो चुका है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनेक संविधान पीठों द्वारा बार—बार निर्धारित किया जा चुका हैं कि राज्य को किसी भी आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण प्रावधान करने से पहले संख्यात्मक आंकडो से यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि उस वर्ग का राज्य की सेवाओं में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। कृपया सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों द्वारा अलग—अलग समय पर दिये गये आर.के.सबरवाल का निर्णय, एम.नागराज का निर्णय, रोहताश भाखर का निर्णय, जरनैल सिंह का निर्णय ध्यान पूर्वक अवलोकित करें। इसके साथ ही भारतीय सविधान के अनुच्छेद 16(4) का भी ध्यान पूर्वक अवलोकन करें जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि यदि आरक्षित वर्ग का राज्य की सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो केवल उसी स्थिति में राज्य सरकार को उस आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण प्रावधान करने का अधिकार है अन्यथा नहीं है।

आप यह भी जानते हैं कि ओबीसी वर्ग की कट ऑफ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा एवं अंतिम परीक्षा में सामान्य वर्ग से अधिक जा रही है। आप यह भी जानते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग की रिक्तियों पर चयनित हो रहे हैं। प्रकटतः राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग ना तो पिछड़ा वर्ग है एव ना ही सरकारी सेवाओं में इसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। ऐसी परिस्थितियों में ओबीसी वर्ग को नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाना पूरी तरह से असंवैधानिक एवं न्यायिक निर्णयों की अवमानना करने वाला है। अतः हमारा निवेदन है कि तीन दिवस के अन्दर हमें राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा—2021 की विज्ञप्ति में विज्ञापित किये गये विभिन्न सेवा संवर्गों से संबंधित वो आंकड़े उपलब्ध करवाये जावें जिनसे उस सेवा संवर्ग विशेष में ओबीसी वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रमाणित होता हो। यह भी ध्यान रहे कि "प्रतिनिधित्व" के आंकड़े उपलब्ध करवाते समय सामान्य एवं आरक्षित सभी पदों पर कार्यरत ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों की संख्या को शामिल किया जाये। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते है तो हमें मजबूर होकर संवैधानिक प्रावधानों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की पालना के लिए न्यायपालिका की शरण में जाना होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।

कृपया त्वरित सकारात्मक कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद।

भवदीय,

(पाराशर नारायण)
अध्यक्ष